

FORM OF NOMINATION

Account No.....

I,.....hereby nominate the person(s) mentioned below who is/are member(s) /non-member(s) of my family as defined as Rule 2 of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, to receive the amount that may stand to my credit in the Fund as indicated below, in the even of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid.

<i>Name and full address of the nominee(s)</i>	<i>Relationship with the subscriber</i>	<i>Age of the nominee(s)</i>	<i>Share payable to each nominee</i>	<i>Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid</i>	<i>Name, address and relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his/her pre-deceasing the subscriber</i>	<i>If the nominee is not a member of the family as provided in Rule 2, indicate the reasons</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

Dated this.....day of 20.....at CSMRS, New Delhi.

Signature of the subscriber.....

Name in Block letter.....

Designation.....

*Two witnesses to signature
Name and address*

1.

2.

Nomination by Shri/Ms..... Designation.....

Date of receipt of nomination.....

Signature of Head of Office/ Pay & Accounts Officer

Designation.....

Date.....

सामान्य भविष्य निधि की नामांकन पत्र

यदि अभिदाता का परिवार है और वह अपने परिवार के किसी सदस्य को नामित करना चाहे

मैंनिर्धारित विधि के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति को जो कि सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली के नियम 2 में परिभाषित मेरे परिवार का एक सदस्य है एतद्द्वारा नामित करना चाहता हूँ । वह उस निधि में मेरे नाम क्रेडिट राशि जो उसके देय होने से पहले या देय होने पर अदा किए जाने से पहले मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में प्राप्त कर सकेगा ।

अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में नामित का नाम और पता	अभिदाता से सम्बन्ध	नामित की आयु	प्रत्येक नामित को	आकस्मिकताएं जिनके कारण नामन अमान्य माना जाएगा	:यदि नामित व्यक्ति की अभिदाता से पहले मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में नामित होने के अधिकार किस व्यक्ति यदि कोई हो को होगा उसका नाम पता और सम्बन्ध	अगर नामित व्यक्ति परिवार के सदस्य नहीं हैं जैसा कि कालम 2 में वर्णित हैं, तो कारण दें
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.

--	--	--	--	--	--	--

इस दिन तारीख

स्थान

हस्ताक्षरों के सम्बन्ध में दो साक्षी

- 1.
- 2.

-2-

श्री/श्रीमती द्वारा भरा गया नामांकन पदनाम

नामांकन प्राप्त करने की तिथि

कार्यालय अध्यक्ष/वेतन एवं लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम :

दिनांक: